न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या –51/2014

उनवान

1. हजारी पुत्र जंगली उर्फ जुगल्या
2. हरिकिशन पुत्र जंगली उर्फ जुगल्या(फौत)
   2/1 हितेश पुत्र हरिकिशन
   2/2 मनीषा पुत्री हरिकिशन
3. हरसहाय पुत्र जंगली उर्फ जुगल्या समस्त जाति मीना निवासी ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा।

बनाम

वादीगण

बनाम

1. कपूरचंद पुत्र मिश्रीलाल
2. इन्दरा देवी पत्नी कपूरचंद
3. रूम्मल पुत्र मिश्रीलाल
4. बाबूलाल पुत्र केदारमल
5. गोविन्दनारायण पुत्र केदारमल
6. गोपाललाल पुत्र केदारमल
7. उगन्ती पत्नि केदारमल
8. शिम्भू पुत्र मंगोली
   समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा।
9. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषे0

वादीगण की ओर से श्री लखनलाल बैरवा एड0

प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुनील कुमार गुप्ता एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** 24/12/25

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 1325 पुराना खसरा नम्बर 1325/2 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 2912 रकबा 0.03 गै0मु0 चाह कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके रामा गीजगढ तह0 सिकराय में स्थित है। उक्त भूमि आज दिन तक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण इस भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से करीब 100 वर्ष से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के मृतक पिता जंगली उर्फ जुंगल्या संवत 2012 से 2015 तथा 2016 से 209 गिरदारवरी में काबिज काश्त रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा इस भूमि को वादीगण के पिता को काश्त करने के लिए दी थी जिसे काफी रूपया लगाकर वादीगण द्वारा उपजाउ बनाया गया है। किसी भी भूमि पर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त रखता है तो कब्जे के आधार पर उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। वादीगण विवादित भूमि पर 100 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज काश्त है इसलिए खातेदारी भूमि की उदघोषणा करवाने के अधिकारी है। इसलिए विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण के हक में दर्ज की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषे0 से पाबंद किया जावे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जवाब दावा में प्रतिवादीगण के वादपत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया एवं काउण्टर क्लेम पेश कर वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। उभयपक्षकारान के दावा, जवाब दावा, प्रतिदावा एवं जवाब उल जवाब के आधार पर पत्रावली में निम्न तनकीयात कायम कर विवेचित की गई–

1 आया विवादित भूमि खसरा संख्या 1325 पुरा 1325/2 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 2912 रकबा 3 बिस्वा वाके रामा गीजगढ पर वादीगण 100 वर्षो से काबिज काश्त एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने हक में उदघोषणा के अधिकारी है।

वादीगण

2 आया विवादित उपरोक्त आराजियात भूमि जिसकी खातेदारी प्रतिवाादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम जिसे गलत इन्द्राज को वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

3 आया विवादित उपरोक्त आराजियात भूमि से वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल नहीं करें तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए स्थायी निषे0 से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

वादीगण

4 प्रश्नगत भूमि पर वादीगण ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उसे बेदखल करवाने का हक जवाबदातागण को है।

प्रतिवादीगण

5 अन्य दादरसी

उक्तानुसार तनकीयात कायम कर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। उभयपक्षकारान की साक्ष्य प्राप्त की गई, जिरह की गई, दस्तावेजात प्रदर्शित की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

वादी अधिवक्ता

। उभयपक्ष की बहस एवं उभयपक्षकारान द्वारा पेश साक्ष्य, दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

1 वादीगण प्रश्नगत भूमि पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा के अधिकारी है।

वादीगण

2 आया विवादित उपरोक्त आराजियात भूमि जिसकी खातेदारी प्रतिवाादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम जिसे गलत इन्द्राज को वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 1 एवं 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि पर वादीगण लम्बे समय से काबिज काश्त है इसलिए उन्हें खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किए जा सकते है। इसलिए वादीगण का वादपत्र खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस का मनन किया गया, वादीगण द्वारा केवल कब्जे मात्र के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गए है तथा वादपत्र के पैरा संख्या 3 में स्वंय वादीगण का स्वीकार्य कथन है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के पिता को भूमि काश्त करने के लिए बता दी थी, जिससे यह स्पष्ट है कि भूमि प्रतिवादीगण की ही है तथा वादीगण को केवल काश्त करने हेतु दी गई है, इसलिए केवल कब्जे मात्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णित प्रकरण जयमल बनाम रमेश अपील डिक्री/टी.ए./9118/2008/जयपुर निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

प्रकरण संख्या 51/2014 उनवान– हजारी बनाम कपूरचन्द वगै0

दिनांक 09.03.2016 से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा अंकित किया है कि 2011 आर.आर.डी. पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम वगै0 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथा नया कानून प्रतिपादित करने की रेवेन्यू कोर्ट को विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने जरिये निर्णय दिनांक 15.07.2015 अंतर्गत नजीर तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में इसी सिद्वान्त को प्रतिपादित करते हुए निर्णय दिया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है। वादी द्वारा इस प्रकरण में कब्जे के आधार खातेदारी अधिकार चाहे गए है जिसके संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से स्पष्ट है केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का कोई प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है। इसलिए वादीगण न तो खातेदारी के अधिकारी है न ही किसी प्रकार के इन्द्राज दुरूस्ती के। इसलिए तनकी संख्या 1 एवं 2 वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

3 आया विवादित उपरोक्त आराजियात भूमि से वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल नहीं करें तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए स्थायी निषे0 से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1 में विस्तृत विवेचना से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर वादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है इसलिए खातेदारी के अभाव में वादीगण स्थाई निषे0 प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

4 प्रश्नगत भूमि पर वादीगण ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उसे बेदखल करवाने का हक जवाबदातागण को है।

प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रतिवादपत्र के समर्थन में दौराने बहस निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। वादी द्वारा विवादित भूमि पर जबरन अवैध अतिक्रमण किया गया है। इसलिए वादी को बेदखल कर कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया जावे। जमाबंदी का अवलोकन किया गया, प्रतिवादीगण वाद वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
... जिला टोंक

के खातेदार है इसलिए उनके कब्जा प्राप्त करने के हक अधिकार है। इसलिए तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5 अनुतोष– तनकीवार विवेचन के आधार पर दावा वादीगण खारिज किया जाना एवं प्रतिदावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रतिदावा स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को आदेश प्रदान किए जाते है कि वाद वर्णित भूमि से वादी को बेदखल कर कब्जा प्रतिवादीगण को करवाया जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

हस्ताक्षरित एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय